कार्यकारी सारांश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है। इन लाभों को लागू करने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया गया था।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान में 15.64 लाख दिव्यांगजन थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या (6.85 करोड़) का 2.28 प्रतिशत था। राजस्थान में दिव्यांगजनों की छठी सबसे बड़ी जनसंख्या थी, जो देश में कुल दिव्यांगजनों का 5.83 प्रतिशत थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा राजस्थान राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन का आंकलन है। यह जांच की गई कि क्या राजस्थान सरकार ने विशेष योग्यजनों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने, पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2016-21 की अवधि को सम्मिलित किया गया था।

लेखापरीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के अधिकार और हकदारी प्रदान करने में काफी देरी देखी गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के चार वर्ष बाद अक्टूबर 2021 में पदोन्नति में आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और अंकों में रियायत के प्रावधान अधिसूचित किए गए थे। *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण किया जाए।*

सरकार द्वारा समान अवसर नीति को अभी अनुमोदित किया जाना है। *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समान अवसर नीति को शीघ्र अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।*

राजस्थान विशेष योग्यजन नीति, 2012 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संशोधित किया जाना है।

दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों को जारी करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ क्योंकि 9.85 लाख आवेदनों में से 31 प्रतिशत एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। *राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विशेष योग्यजनों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चला सकती है और आवेदनों के निस्तारण के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा के संबंध में मानदंड निर्धारित कर सकती है।*

जब सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, तो मार्च 2021 तक केवल 5.77 लाख विशेष योग्यजनों (37 प्रतिशत) को ही दिव्यांगता पेंशन मिल रही थी।

विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन 2016-17 से 2020-21 तक लगभग 30 प्रतिशत घटा। *राज्य सरकार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर सकती है।*

राज्य में बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक विमंदित गृह पर्याप्त नहीं थे और मौजूदा मानसिक विमंदित गृह कर्मचारियों और सुविधाओं की कमी से ग्रस्त थे। *राज्य सरकार पर्याप्त संख्या में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह स्थापित कर सकती है और निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है।*

विशेष योग्यजन सुस्वद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत आय प्रमाण-पत्र, विवाह कार्ड, मूल निवास, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अंग एवं उपकरणों की प्राप्ति जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना विशेष योग्यजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत पूर्ण ऋण के वास्तविक संवितरण को सुनिश्चित किए बिना अनुदान जारी किया गया था और अपात्र व्यक्तियों को अनुदान का अनियमित वितरण किया गया था। *राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि विशेष योग्यजन के लिए निर्धारित लाभों का अपात्र व्यक्तियों को विचलन न हों। अपात्र व्यक्ति को लाभ के विचलन के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती हैं।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने समय-समय पर दिव्यांगजनों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया। *राज्य सरकार समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण कर सकती है जिससे उन्हें प्रगति की निगरानी करने के साथ-साथ विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद मिलेगी।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन ने गैर सरकारी संगठन के नए पंजीयन और प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण स्वीकृत करने में अधिक समय लिया। *राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों का समय पर पंजीयन स्वीकृत करने और उनके नवीनीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास कर सकती है और गैर सरकारी संगठनों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित डेटाबेस तैयार कर सकती है।*

राज्य आयुक्त के पास पीड़ित विशेष योग्यजनों से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक राज्य सलाहकार बोर्ड अभी तक गठित नहीं किया गया था। *राज्य सरकार विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में परिकल्पित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकती है।*

निदेशालय, विशेष योग्यजन का जिला या निचले स्तर पर कोई समर्पित कर्मचारी नहीं था, हालांकि विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए अक्टूबर 2011 में विशेष योग्यजनों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई थी। *राज्य सरकार अधिनियम*

और योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला/खण्ड स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन के साथ अलग विशेष योग्यजन कार्यालय स्थापित कर सकती है।

जिला अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन का तिमाही/मासिक निरीक्षण नहीं किया बल्कि निदेशालय, विशेष योग्यजन को अनुदान जारी करने के लिए सिफारिश करते समय अर्धवार्षिक आधार पर निरीक्षण किया गया। *राज्य सरकार अधिनियम में परिकल्पित मजबूत संस्थागत तंत्र और समय पर सटीक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करके प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित कर सकती है।*

आठ नमूना जांच किए गए जिलों में, कई सरकारी भवन विशेष योग्यजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे क्योंकि रैम्प, रेलिंग और सुलभ शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया था।